## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

**अपील संख्याः 13/15** **निर्णय दिनांकः— 24.09.2018**

1. सोहनीदेवी बेवा चेतनराम जाति सुथार निवासी ग्राम कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. शंकरलाल
3. श्योपतराम
4. गुड्डीदेवी
5. मांगीदेवी

पिसरान चेतनराम जाति सुथार निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

**—बनाम—**

1. प्रेमाराम पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी ग्राम कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. सुरजादेवी बेवा रावताराम जाति सुथार निवासी ग्राम कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व आदेश दिनांक 26—02—2014**
**उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर**

**उपस्थितः—**

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**—निर्णय—**

**1.** अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 26—02—2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बालिग पुत्र के तौर पर 7 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 3 एम.के.एम. के मुरब्बा नम्बर 185/58 के किला नम्बर 16, 17, 21 ता 25 में 7 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपीलांट्स के दादा व ससुर रावताराम के नाम की थी जो भूमि सरप्लस धोषित की गई। रावताराम के दो पुत्र चेतनराम व प्रैमाराम है, चेतनराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अपीलांट्स है। रावताराम की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स है।

वादगत् भूमि नियम 13(5)(बी) के तहत पिता की सरप्लस भूमि बालिग पुत्रों को आवंटित की जा सकती है। तत्सयम अपीलांट्स के पति/पिता चेतनराम ही बालिग पुत्र थे तो आवंटन कराने हकदार थे। उक्त भूमि किसी भी सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर बालिग पुत्र नहीं हो सकती थी क्योंकि तत्सयम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग पुत्र था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जन्मतिथि दिनांक 07—08—1971 है जोकि राजकीय माध्यमिक विद्यालय कपूरीसर में रिकार्ड में अंकित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष झूठी जन्म दिनांक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि गलत रूप से आंवटित करवाई गई है। आवंटन अधिकारी द्वारा जन्मतिथि बागत् सही तरीके से जॉच नहीं की गई नाही बालिग पुत्रों के बाबत् जॉच की गई। जबकि तत्समय अपीलांट्स के पिता व पति का भी भूमि आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र जैरकार था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्देशों की सही रूप में पालना नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र जैरकार था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किसी भी सूरत में बालिग पुत्र के नाते वादगत् भूमि के आवंटन का अधिकारी नहीं था क्योंकि वह तत्समय अव्यस्क था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विपरीत जाकर व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादगत् भूमि का आवंटन बतौर बालिग पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व रावताराम के अन्य जायज वारिसान के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई व मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त भूमि के आवंटन के प्रथम अधिकारी अपीलांट्स है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अपीलांट्स को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अपीलांट्स के पीठ पीछे एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये परन्तु वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 18—07—2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में तमाम जॉच के उपरान्त वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पात्र मानते हुए पिता की सरप्लस भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर बालिग पुत्र मानते हुए आवंटन किया गया हैं। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—02—2014 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19—02—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि चक 3 एम.के.एम. के मुरब्बा नम्बर 185/58 के किला नम्बर 16, 17, 21 ता 25 में 7 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का कीमतन आवंटन बतौर बालिग पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) अपीलांट्स का प्रकरण में मुख्य कथन है कि चूंकि वादगत् भूमि नियम 13(5)(बी) के तहत पिता की सरप्लस भूमि बालिग पुत्रों को आवंटित की जा सकती है। तत्सयम अपीलांट्स के पति/पिता चेतनराम ही बालिग पुत्र थे तो आवंटन कराने हकदार थे। उक्त भूमि किसी भी सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर बालिग पुत्र नहीं हो सकती थी क्योंकि तत्सयम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग पुत्र था।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि चक 3 एम.के.एम. के मुरब्बा नम्बर 185/58 के किला नम्बर 16, 17, 21 ता 25 में 7 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपीलांट्स के दादा व ससुर रावताराम के नाम थी जोकि सरप्लस की गई थी।

अदालत मातहत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर वादगत् भूमि का बतौर बालिग पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है। इस संबंध में अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष मिथ्या कथन करते हुए अर्थात अपनी जन्म तिथि के बाबत् झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन बतौर बालिग पुत्र करवाया गया है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा **राजकीय माध्यमिक विद्यालय कपूरीसर का रेस्पोडेन्ट संख्या के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जन्म दिनांक 07—08—1971 अंकित की गई है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपनी जन्म दिनांक 20—07—1966 दर्शाई गई है। इस प्रकार यह तथ्य भलींभांति साबित है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जन्म दिनांक के संबंध में सही तरीके से जॉच नहीं की गई है।**

(5) प्रकरण में सबसे महत्वूपर्ण तथ्य यह है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स के पिता/दादा के नाम की सरप्लस भूमि थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी कि रावताराम के जायज वारिसान कौन—कौन है तथा इस संबंध में संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित थी।

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स जोकि रावताराम के जायज वारिसान है, का वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र जैरकार होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश परिलक्षित होता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर दिनांक 26–02–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर